मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/प्र.स./स्वा/सत्रह/मेडि–तीन/1351 भोपाल, दिनांक 21.03.2020

प्रति,

1. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय एवं उनसे संबद्ध अस्पताल (समस्त)
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त जिले)
3. सिविल सर्जन सह अस्पताल मुख्य अधीक्षक (समस्त जिले)

विषयः– नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के नियंत्रण एंव बचाव हेतु मार्गदर्शी दिशा–निर्देश :– प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में आवश्यक प्रबंधन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 20 मार्च 2020 के माध्यम से समस्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के लिये निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये है –

चिकित्सालयों में आंतरिक सुविधाऐं (Indoor Facilities)

1. समस्त चिकित्सालयों में गैर जरूरी आपरेशन्स/सर्जरियां **(Elective Surgeries)** दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्थगित रखी जावें।
2. सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कतिपय बिस्तरों को रिक्त एवं आरक्षित रखा जावे तथा उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित आईसोलेशन कक्ष के रूप में सर्व सुविधा युक्त बनाया जायें।
3. समस्त अस्पताल अतिरिक्त संसाधनों को जुटाते हुये पर्याप्त मात्रा में मास्क, ग्लोव्स तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों **(PPE)** की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

Scanned with CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9. किसी एक रोगी के साथ अधिकतम 01 सहायक को रहने की अनुमति दी जावे।

प्रचार प्रसार संबंधी गतिविधियां :-

10. अस्पताल में भर्ती रोगियों को खांसने के तरीके, क्या करें और क्या न करें आदि के संबंध में मार्गदर्शन, मास्क का सही एवं उचित उपयोग एवं पर्सनल हाईजीन के संबंध में अच्छी तरह से जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया जावे। अस्पताल परिसर में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जागरूकता हेतु पर्याप्त संख्या में पोस्टर्स आदि भी लगाये जावें।

11. अस्पताल में भर्ती होने वाले अन्य रोगियों को कोरोना सदृश्य लक्षण वाले रोगियों और उनके लिये तैयार की गई सुविधाओं के संबंध में होने वाले भ्रम एवं शंकाओं को दूर करने हेतु उनकी आवश्यकतानुसार काउंसिलिंग की जावे। उन्हें इस बात से

Scanned with CamScanner

लिये जागरूक किया जाये कि कोरोना वायरस से संबंधित लक्षणों की पहचान होने पर तत्काल जांच एवं इलाज ही इस वायरस के संक्रमण से बचने का निश्चित उपाय है।

12. दिनांक 22 मार्च 2020 को सभी अस्पताल कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे। इसके लिये मार्गदर्शी निर्देश परिशिष्ट–एक पर संलग्न है।

13. विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले अस्पतालों के गैर–जरूरी अंकेक्षण कार्यों को स्थगित रखा जाये।

14. सभी अस्पताल, उन चिकित्सा कर्मियों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध करायेंगे, जो कोरोना मरीजों के इलाज के दौरन स्वयं संक्रमित हो जावे।

15. किसी भी संदिग्ध कोरोना वायरस संक्रमित मरीज को किसी भी स्थिति में अस्पताल में भर्ती करने से इंकार नहीं किया जावेगा और ऐसे रोगी की भर्ती की सूचना अस्पताल प्रबंधन द्वारा तत्काल NCDC अथवा IDSP को दी जाये।

16. इसी प्रकार सभी निमोनिया रोगियों के संबंध में भी NCDC अथवा IDSP को ततकल सूचित किया जाना चाहिए, ताकि इन रोगियों की भी कोरोना संक्रमण जांच हो सके।

17. सभी अस्पताल Social-Distancing के मापदण्डों का परिपालन सुनिश्चित करें।

18. समस्त परीक्षाओ एवं मूल्यांकन कार्य दिनांक 31.03.2020 के पश्चात की तिथियों मे री–शेड्यूल किया जावे।

19. समस्त शैक्षणिक संस्थान एवं परीक्षा बोर्ड विद्यार्थी एवं शिक्षकों से Electronic माध्यमों से नियमित संवाद रखें तथा उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित जानकारियां देते रहे ताकि छात्र, छात्राओं, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य इस बीमारी को लेकर आवश्यक चिन्ता उत्पन्न न हो।

20. सभी शैक्षणिक संस्थाऐं अपने Help line Number/Email ID तत्काल अधिसूचित करें, जिन पर विद्यार्थीगण अपनी जिज्ञासाओं का निराकरण कर सकें।

21. अस्पताल परिसर के आसपास स्थित सभी अधिकृत/अनाधिकृत दुकानें (मेडीकल स्टोर्स को छोडकर) पूर्णतः बंद रखी जावें।

Scanned with CamScanner

22. आकस्मिक एवं अपरिहार्य आपातिक स्थिति को छोड़कर अस्पताल कर्मियों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे।

OPD

23. सभी रोगियों को सलाह दी जाये कि वे ऐसे नियमित/गैर जरूरी चैकअप के लिये अस्पताल में न आवें, जिसे कुछ समय के लिये स्थगित रखा जा सकता है।
24. अस्पतालों में OPD का इस प्रकार प्रबंधित किया जाना चाहिए कि बुखार जैसे लक्षणों वाले मरीजों को अन्य मरीजों से अलग चिन्हांकित कर उनका इलाज किया जा सके। इनसे अत्यधिक भीड़ की समस्या से बचा जा सकेगा।
25. ऐसे मरीज जो Chronic बीमारियों अथवा गौण बीमारियों के लक्षणों से ग्रसित है, उन्हें सलाह दी जानी चाहिए कि वे OPD में प्रायमरी/सेकेण्डरी केयर फेसिलिटी का उपयोग करें न कि टार्शियरी केयर सेन्टर में अनावश्यक भीड़ लगायें।
26. अस्पतालों में दवा काउन्टर की संख्या को आवश्यकतानुसार पर्याप्त रूप से बढ़ाया जावे तथा OPD में पंजीयन, इलाज एवं दवा प्रदाय व्यवस्था को पंक्तिवद्ध एवं व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिये भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी तथा आपदा प्रबंधन दल के स्वंयसेवियों की सेवाऐं ली जा सकती है।

उपरोक्त दिशा निर्देश मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों तथा समस्त शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा संबंधित अस्पतालों पर लागू होगें। यह दिशा– निर्देश आगामी आदेश अथवा दिनांक 31.03.2020 (दोनों में से जो पहले हो) तक प्रभावशील रहेंगे। उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न – मॉकड्रिल गाईडलाईन

31/3/2020

(डॉ पल्लवी जैन गोविल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Scanned with CamScanner

पृ. क्रमांक/प्र.स./स्वा/सत्रह/मेडि–तीन/7138 भोपाल, दिनांक 21.03.2020

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर प्रेषित कर समस्त चिकित्सा ममहाविद्यालयों एवं संबंधित चिकित्सयालयों के लिये अनुवर्ती निर्देश जारी करने का अनुरोध है।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
7. आदेश फाईल।

21/3/2020

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Scanned with CamScanner